

साँची दूध / दुग्ध
उत्पाद / घी
परिवहनकर्ता चयन हेतु
ई—निविदा वर्ष
2026—29

**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मकसी रोड़, उज्जैन म.प्र.**

साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी परिवहनकर्ता कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उज्जैन दुग्ध संयंत्र से शाजापुर रूट पर साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी के परिवहनकर्ता कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com या www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। ई-निविदा शैड्यूल इस प्रकार है :—

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 11.07.2026 समय दोपहर 01:00 बजे www.mptenders.gov.in से रु. 500/- के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं।
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17.07.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर
3.	ई-निविदा (ऑनलाइन) की तकनीकी अर्हता खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20.07.2026 एवं समय दोपहर 02:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय
4.	तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय बिड खोलने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 21.07.2026 एवं समय दोपहर 02:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	ईएमडी राशि 25,000/- ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

प्रत्येक ई-निविदा के साथ राशि रु 25,000/- की ऑनलाईन ई.एम.डी. जमा कर रसीद संलग्न करना अनिवार्य है जिसके बिना निविदा स्वतः अमान्य होगी। अधिक जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदन प्रपत्र/प्रक्रिया में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल ऊपर दी गई वेबसाइट www.sanchidairy.com या www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

किसी भी अथवा समस्त निविदा को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 11.07.2026 समय दोपहर 01:00 बजे www.mptenders.gov.in से रु. 500/- के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं।
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17.07.2026 समय दोपहर 02:00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर
3.	ई-निविदा (ऑनलाइन) की तकनीकी अर्हता खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 20.07.2026 एवं समय दोपहर 02:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय
4.	तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय बिड खोलने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 21.07.2026 एवं समय दोपहर 02:00 बजे से, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	ईएमडी राशि 25,000/- ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

अनिवार्य तकनीकी अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

महोदय,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उज्जैन दुग्ध संयंत्र से शाजापुर मार्ग में साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी परिवहनकार्य हेतु दिनांक को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तृतीय ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक तकनीकी अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व Joint venture फर्म)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ Joint venture फर्म) अंकित करे।
2	एकल स्वामित्व/भागीदारी/ Joint venture /कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी		एकल स्वामित्व/ कंपनी/ Joint venture की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
3	निविदाकार फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ Joint venture फर्म के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
4	निविदाकार बतौर परिवहनकर्ता/वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ में कार्यरत हैं तो एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।		तदाशय के संबंधित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य हैं।
5	निविदाकार का पेन कार्ड।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।

6	निविदाकार द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सील साईन निविदा प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।	पूर्ण रूप से भरा हुआ सील साईन प्रपत्र क्र. 04 मूल रूप से संलग्न करें।
7	निविदाकार को :- - एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ तथा अन्य शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी टर्मिनेट/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो। - किसी भी संस्थान द्वारा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में निविदाकार के विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित नहीं हों। - एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही आश्रित परिवार का सदस्य हो।	तदाशय का संयुक्त शपथ पत्र रु 500/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। इस हेतु शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र 05 में संलग्न है।
8	उपलब्ध वाहन का प्रकार :	प्रपत्र क्र. 08 के तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2022 के अथवा इसके बाद के वर्षों के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन लगाए जाने की दशा में रु 500/- के नोटराइज्ड (टिकट सहित) स्टॉम्प पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। <u>शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के क्र. 06 में अवलोकन हेतु संलग्न है।</u>
9	निविदाकार दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य का वैध FSSAI लायसेंस	तदाशय के वैध लायसेंस/पंजीयन /आवेदन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

	/पंजीयन/आवेदन जीएसटी की प्रति संलग्न करें।		
10	निविदाकार को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु. 25,000/- की रसीद संलग्न करें।
11	निविदाकार को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
12	यदि MSME अंतर्गत पंजीकृत हैं तो पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		केवल म.प्र. के MSME उद्यमियों को ई.एम.डी. राशि में छूट की पात्रता होगी अन्य किसी राज्यों के उद्यमियों को नहीं। इस हेतु MSME के प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।

- नोट:- 1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकार को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ तकनीकी रूप से असफल एवं अमान्य घोषित होंगी।
- 3) केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकार की ही वित्तीय बिड खोली जायेंगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता : _____

टेलीफोन नं. _____

मोबाईल नं _____

ई-निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

1. केवल एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को ई.एम.डी. राशि में छूट में पात्रता होगी अन्य किसी भी राज्यों के उद्यमियों के लिए नहीं।
2. प्रतिभागी निविदाकार के पास प्रपत्र क्र. 08 में दर्शाए मार्ग विवरण में उल्लेखित वाहन की क्षमता एवं वाहन मॉडल का निर्माण एवं पंजीयन वर्ष विवरण में उल्लेखित अथवा इसके बाद के वर्षों के हो उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच के पफ इंसूलेशन वाहन का होना अनिवार्य है। स्वयं के नाम से नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करेंगे।
3. सफल निविदाकार जो कि नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हें एक माह की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणों से नया वाहन एवं वाहन संबंधी समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
4. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरीज्ड कर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है।
5. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरांत बतौर सुरक्षा निधि राशि रु 2,00,000/- का RTGS/NEFT/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि पेयबल एट उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के उपरांत निर्धारित अवधि में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि, वाहनो के समस्त वांछित दस्तावेज सत्यापन हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होंगे। नियत समय में दस्तावेज जमा न करने अथवा दस्तावेज असत्य/अवांछित होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
7. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है, तो निविदाकार का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
8. प्रतिभागी निविदाकार को दरें केवल ओर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
9. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित होगा।
10. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से 03 वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
11. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. अनुबंधित अवधि में कार्यरत वाहन के ईंधन (डीजल,सीएनजी आदि) की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से मान्य की जाकर भुगतान/वसूली की जावेगी। अनुबंध के समय कार्यरत वाहन में उपयोग ईंधन (डीजल, सीएनजी आदि) की दर को बेस रेट माना जाएगा।
13. प्रतिभागी निविदाकार आवेदित मार्ग का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें समस्त व्यय (कर एवं टोल टेक्स) सहित प्रस्तुत करेंगे। मार्ग का विवरण प्रपत्र क्र. 8 में उल्लेखित है।
14. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल प्लाजा खुलने की स्थिति में अतिरिक्त टोल टैक्स का द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये भुगतान का सत्यापन परिवहनकर्ता द्वारा संबंधित टोल कम्पनी से स्वयं करायेंगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् ही उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
15. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।
16. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात एवं निविदा निरस्त की जाएगी साथ ही भविष्य की समस्त निविदाओं हेतु ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।
17. निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
18. सफल निविदाकार को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
19. प्रतिभागी निविदाकार निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।
20. निविदाकार निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करे अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
21. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रपत्र क्र. 01 में मांगे गए आवश्यक अर्हताओं के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी, की मूलप्रतियाँ कार्य आदेश जारी करने के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कतिपय कारणों से दस्तावेजों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का निर्णय सर्वोपरी होगा।
22. प्रतिभागी निविदाकार यदि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह ऑन लाइन निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा संबंधी वांछित जानकारी उज्जैन दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
23. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर पूर्ण निविदा प्रपत्र को ऑन लाइन जमा करना होगा। निविदा का कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से जमा नहीं किया जावेगा।
24. निविदाकार द्वारा रखी गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

25. निविदाकार द्वारा वित्तीय बिड में ऑनलाईन दरें शब्दों तथा अंक दोनों में प्रस्तुत करी जाएं। यदि शब्दों तथा अंकों प्रस्तुत दरों में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में प्रस्तुत दर को मान्य किया जाएगा।

मेरे/हमारे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 25 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पता
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

प्रति कि.मी. दर प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय बिड का प्रारूप
(केवल ऑनलाईन ही भरें)

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें सभी कर सहित (अंको में) रु प्रति कि.मी.	परिवहन दरें सभी कर सहित (शब्दों में) रु प्रति कि.मी.
1.	उज्जैन दुग्ध संयंत्र से शाजापुर मार्ग		

नोट:- निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होंगी। निविदाकर्ता ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में यदि किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पता
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

निविदाकार की जानकारी

स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस
6. परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
.....
8. (अ) पेन नम्बर
(ब) FSSAI
(स) आधार कार्ड नम्बर.....
(द) GST नम्बर.....
9. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर
(समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

टर्मिनेट/ब्लैक लिस्टेड नही होने, अनापराधिक रिकार्ड हेतु एवं संबंधित नही होने का शपथ पत्र का प्रारूप

केवल रु. 500/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं/हम आत्मज आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा उज्जैन दुग्ध संयंत्र से शाजापुर मार्ग में साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक टर्मिनेट/ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।
3. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह	2. गवाह
नाम:-	नाम:-
पता:-	पता:-
आधारकार्ड नं.	आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....	मोबाइल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

नवीन वाहन उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
केवल रु. 500/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं/हम आत्मज आयु..... निवासी..... यह कि मेरे/हमारे द्वारा उज्जैन दुग्ध संयंत्र से शाजापुर मार्ग में परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मैं/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन तथा तापमान के इंसूलेटेड/रेफ्रिजरेटेड वाहन एक माह के अंदर संलग्न कर दूंगा। इस हेतु मैं/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह

नाम:-.....

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:-.....

पता:-

आधारकार्ड नं.

मोबाइल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

परिवहनकर्ता कार्य हेतु अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक..... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, उज्जैन जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे :-

द्वितीय पक्ष द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, उज्जैन के उज्जैन दुग्ध संयंत्र से शाजापुर मार्ग के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अनुबंधित वाहन क्रमांक से प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु ई-निविदा में प्रस्तुत किया है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा पर परिवहन दर रु. प्रति स्वीकार किया गया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
2. यह कि पैकड दूध व उत्पाद परिवहनकर्ता होने पर द्वितीय पक्ष निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर अपने इंसूलेटेड वाहन द्वारा वितरण करेगा। मार्ग, केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी तथा केन्द्रों की संख्या घटाने या बढ़ाने एवं मार्ग का पुर्नगठन करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि वाहन तय किलोमीटर से अधिक चलता है तो उसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर किया जायेगा।
3. यह कि निविदा में स्वीकृत दरों पर वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में वितरण केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व क्रेट आदि वापस लेकर उज्जैन डेयरी संयंत्र में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है, उतनी ही क्रेट डेरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की वर्तमान प्रचलित क्रेटों की दरों पर गणना कर उतनी कीमत की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक में से काटी जावेगी।
5. विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध पैकेट्स या दुग्ध उत्पादों की मात्रा द्वितीय पक्ष को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने की दशा में समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी एवं यदि दुग्ध पैकेट्स या दुग्ध उत्पादों की मात्रा में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो कम मात्रा के समतुल्य राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।
6. यह कि द्वितीय पक्ष इंसूलेटेड वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक

संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने/भारी बारीश/पुलिया के ऊपर पानी बहने/किसी भी प्रकार से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर/वैकल्पिक इंतजाम करके/वैकल्पिक मार्ग से दुग्ध वितरण समय पर सम्पन्न करें एवं 48 घंटे के भीतर संबंधित थाने से लिखित सूचना पत्र संघ के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में दुग्ध संघ को होने वाली हानि की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयको से कटौती कर वसूल किया जायेगा।

7. कतिपय कारणों से अनुबंधित मार्ग अवरुद्ध होने पर वैकल्पिक मार्ग से अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान अनुबंधित दर पर प्रथम पक्ष की स्वीकृति पश्चात् किया जा सकेगा। अतिरिक्त कि. मी. का सत्यापन प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार तय करने के उपरांत किया जाना संभव होगा।
8. यह कि वाहन की खराबी अथवा द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दूध खराब होने/दुग्ध वापस आने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का रहेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष हर माह में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध/दुग्ध उत्पाद/घी वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :—
 - (a) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस नग तक अधिक पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष से सामग्री की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।
 - (b) उससे अधिक मात्रा पाये जाने पर सामग्री की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष से वसूल किया जावेगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष के वाहन चालक, द्वितीय पक्ष के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स लायेंगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे एवं न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे।
12. द्वितीय पक्ष को क्रेटों का लेखा—जोखा स्वयं रखना होगा। कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम जमा की गई क्रेटे दुग्ध संघ में द्वितीय पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाजार में वर्तमान प्रचलित क्रेटों के मूल्य से गणना कर द्वितीय पक्ष के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी।
13. द्वितीय पक्ष खाली क्रेटों का लेखा—जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. दुग्ध संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में द्वितीय पक्ष को उठाना होगा। डेयरी डाक पर द्वितीय पक्ष छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरणकों को प्रदाय करेगा। वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध/उत्पाद के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
15. यह कि वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध पैकेट्स एवं दुग्ध उत्पाद को द्वितीय पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई सामग्री

- की कीमत से दुग्नी कीमत अर्थदण्ड स्वरूप वसूल की जाएंगी तथा पुनरावृत्ति होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यदि संघ की प्रयोगशाला में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि होती है तो द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 17. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 18. यह कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में द्वितीय पक्ष के अटेंडेन्ट दुग्ध के क्रेट दुग्ध उत्पादों के कार्टून उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
 19. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 20. यदि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विपणन) या विपणन मार्ग पर्यवेक्षक की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी इंसूलेटेड वाहन की व्यवस्था करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। यदि 10 दिवस के उपरांत भी अनुबंधित वाहन ठीक न होने की दशा में अस्थाई वाहन की अवधि बढ़ाये जाने पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
 21. यह कि यदि द्वितीय पक्ष, किसी भी कारणवश अनुबंधित वाहन से अनुबंध अवधि में वितरण कार्य निर्धारित समय पर नहीं कर पा रहा है एवं उक्त वाहन के स्थान पर समान क्षमता का इंसूलेटेड वाहन उपलब्ध कराकर दूध वितरण कार्य सम्पन्न कराना चाहता है तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से अनुबंधित वाहन के स्थान पर अन्य इंसूलेटेड वाहन लगाए जाने के पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसा न करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्ट करने अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 22. प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष दुग्ध या दुग्ध क्रेट से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान को दुग्ध वाहन में लोड नहीं करेगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। बार-बार पुनरावृत्ति होने पर कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

23. परिवहन देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
24. वाहन चालक एवं अटेंडेंट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के क्रेट प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभ्रद व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर महाप्रबंधक/प्रबंधक (संयंत्र संचालन)/प्रभारी डेयरी डाक विपणन द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को द्वितीय पक्ष तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक करेगा।
25. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक सेतक (कुल तीन वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
26. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
27. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
28. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।
29. यह कि अनुबंधित अवधि में कार्यरत वाहन में उपयोग ईंधन (डीजल, सीएनजी आदि) की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली प्रथम पक्ष की सहमति से की जा सकेगी। अनुबंध के समय कार्यरत वाहन में उपयोग ईंधन (डीजल, सीएनजी आदि) की दर प्रभावशील है।
30. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
31. निविदा अवधि में अनुबंधित मार्गों पर नवीन टोल खुलने की स्थिति में उक्त टोल टैक्स का भुगतान प्रथम पक्ष की सहमति से की जा सकेगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष भुगतान किये गये टोल टैक्स संबंधित टोल कम्पनी से प्रमाणित करायेंगे तथा विपणन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन होने के पश्चात् ही उक्त टोल टैक्स के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
32. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन की क्षमता से अधिक मांग होने पर पृथक से इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था कर मांग अनुसार दूध वितरण अनुबंधित दरो पर समय पर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करते पाए जाने एवं दुग्ध संघ स्तर से वाहन व्यवस्था कर दूध वितरण करने की दशा में उस दिवस का जो भी व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा, का द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से कटौती किया जाएगा।
33. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध वितरण के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु 10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति

करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।

34. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
35. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्तें तथा दुग्ध संघ द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले पत्र परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगे।
36. यह कि द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को नियमानुसार अनुबंध की समान शर्तों पर कार्य अनुबंध अवधि में जारी रखना होगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी एवं देनदारी हेतु जिम्मेदार होगा।
37. मार्ग के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सामग्री प्रदाय की जाएगी उसकी दैनिक मांग तथा प्रदायगी की प्राप्ति द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक देयकों के साथ संलग्न कर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराने होंगे। यदि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्थाओं को प्राप्त मात्रा में कोई अंतर होता है तो अंतर की राशि का कटोत्रा द्वितीय पक्ष के देयकों से किया जाएगा।

मैं आत्मज/पति/पत्नी..... परिवहनकर्ता मार्ग
.....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती
हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या. उज्जैन

1. गवाह के हस्ताक्षर

नाम एवं पता:—.....
.....

प्रभारी (विपणन)

..... सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रति किमी दर प्रस्तुत करने हेतु मार्ग का विवरण

क्र.	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल दूरी (आना एवं जाना दोनों मिलाकर) कि.मी. में	प्रतिदिन प्रदायगी हेतु (पाली की संख्या)	आवश्यक वाहन की क्रेट क्षमता	आवश्यक वाहन का प्रकार	आवश्यक वाहन के रजिस्ट्रेशन की वर्ष या उसके बाद का
1	उज्जैन से शाजापुर	118	आवश्यकतानुसार	300	Insulated	वर्ष 2022 या उसके बाद का

मार्ग पर वर्तमान वितरण शहर/टाउन का विवरण

क्र.	शहर	दूरी कि.मी.
1	डेयरी संयंत्र उज्जैन	
2	मक्सी	
3	शाजापुर	
4	डेयरी संयंत्र उज्जैन	
	कुल दूरी	उपरोक्तानुसार